

06/9/22

वकील पार्थी उपस्थित। विपार्थी संख्या 01 से 16 के वकील उपस्थित। शेष विपार्थी एकतरफा। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि ग्राम जसोल की खसरा संख्या 1765/168 रकबा 21 बीघा भूमि के पक्षकारन रिकार्डेड खातेदारान है। जिनका मूल विवाद विवादित भूमि के बंटवाडे को लेकर है। जिसमें बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी हो रखी है। इस कारण न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है ताकि पक्षकारन के मध्य मौका स्थिति को लेकर आगे ओर विवाद न बढे। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.06.2021 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

